

गांवों की आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियां: एक संक्षिप्त अवलोकन

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

महात्मा गांधी ने कहा था कि, "भारत की आत्मा गांवों में बसती है।" गांवों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके लिये विद्युतीकरण भी प्रमुख भूमिका के रूप में दृष्टिगत होता है। भारत में विद्युत का विकास 19वीं सदी के अन्त में शुरू हुआ, जिसकी मुख्यधारा में शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया और ग्रामीण पृष्ठभूमि विद्युत के विकास में सुदूर करने की कवायद की जा रही है। यह तभी सम्भव है जब सभी परियोजनाओं को सकारात्मक एवं सतत रूप से लागू किया जाए। तत्पश्चात ही बुनियादी घरेलू विद्युतीकरण की मांग को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि जब होंगे गांव रोशन, तब होगा भारत रोशन...

विद्युत उत्पादन तथा वितरण की प्रक्रिया किसी भी देश के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण आधार हैं भारत की औसत प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 1075 किलोवाट प्रति घण्टा (विद्युत इकाई) प्रतिवर्ष है, जिसमें गुजरात सर्वोच्च स्थान पर है। गुजरात की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग की दर 2105 किलोवाट प्रति घण्टा (विद्युत इकाई) है। आजादी के इतने वर्षों के अवसरों को सीमित कर देती है, क्योंकि विद्युतीकरण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।

स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये अनेक कार्यक्रम एवं निगम तैयार किये गये, अनेक रणनीतियां बनाई गईं। सरकार के प्रयास अधिकांशतः सफल भी रहे हैं, परन्तु कुछ चुनौतियां स्वयंभू रूप में इडिग हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के माध्यम से विद्युत की सभी समस्याओं को बदस्तूर सुलझाया जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015

यह योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरन्तर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिये बनाई गई है। इस योजना की शुरुआत 25 जुलाई, 2015 को पटना (बिहार) में की गई। योजना का

उद्देश्य हजार दिनों के अन्तर्गत 1 मई, 2018 तक 18452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करना है। यह विद्युत मन्त्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

इस योजना के मुख्य घटकों में प्रमुख हैं—

ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्कीकरण करना। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं की नपाई सहित उप-पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण एवं आवर्द्धन करना। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पूर्व स्वीकृत माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति 2006

राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति का शुभारम्भ वर्ष 2006 में किया गया था। राष्ट्रीय नीति 2006 के तहत निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल किया गया है—

इसके विद्युतीकरण वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर का विद्युतीकरण करना, बिजली की उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति एवं वर्ष 2012 तक प्रत्येक घर को न्यूनतम यूनिट बिजली प्रतिदिन के उपभोग हेतु उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। गांवों अथवा बस्तियों के लिये जहां ग्रिड संयोजन व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं है, विद्युत आपूर्ति हेतु छोटे आकार के एकल संयन्त्रों पर आधारित ऑफ ग्रिड प्रणाली उपयुक्त साबित हो सकती हैं। जहां ये भी व्यावहारिक न हो, वहां पर सौ-फोटोवोल्टेइक जैसी अत्यन्त लघु, पृथक्कृत तकनीक अपनाई जा सकती है। यद्यपि ऐसे दूरस्थ गांवों को विद्युतीकृत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। राज्य सरकारों को छह माह के अन्दर एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को तैयार कर उसे अधिसूचित करना होगा, जिसमें विद्युत वितरण की सम्पूर्ण रूपरेखा एवं विस्तृत विवरण हो। इस योजना को जिला विकास योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। योजना को उपयुक्त आयोग से भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005

ग्रामीण घरों को उपभोग के लिये बिजली प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये ग्रामीण बिजली अवसंरचना और घर

विद्युतीकरण योजना अप्रैल, 2005 में प्रारम्भ की गई। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी ग्रामीण विद्युतीकरण अवसरचना के लिये प्रदान की जायेगी। वर्ष 2014 में इस योजना का विलय दीन दयाल योजना को राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 की प्रमुख भाग बनाया गया था।

सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2005

सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य दूर-दराज के सभी गांव एवं बस्तियों को सौर ऊर्जा, लघु जल-विद्युत, बायोमास, पवन-ऊर्जा, हाइब्रिड प्रणालियों इत्यादि द्वारा विद्युतीकरण करना, अविद्युतीकरण दूरस्थ गांवों एवं विद्युतीकृत गांवों की दूरस्थ बस्तियों पर ध्यान केन्द्रित करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। योजना क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित दूरस्थ क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

- वर्ष 2007 तक, सभी अविद्युतीकृत दूरस्थ गांव
- वर्ष 2012 तक, विद्युतीकृत गांवों की सभी अविद्युतीकृत बस्तियां
- वर्ष 2012 तक दूरस्थ सभी गांवों एवं बस्तियों के सभी घर।

दूर-दराज के ऐसे सभी अविद्युतीकृत गांव और बस्तियां, जिन्हें 11वीं योजना के अन्त तक पारम्परिक प्रणाली द्वारा विद्युतीकृत नहीं किया जा सकेगा और जो सम्बद्ध ऊर्जा विभाग/राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रमाणित होंगे, इस योजना के तहत लाये जाने योग्य होंगे।

एक लाख गांवों एवं एक करोड़ मकानों का त्वरित विद्युतीकरण 2004

भारत सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी योजना और कुटीर ज्योति कार्यक्रम का विलय करके वर्ष 2004-05 में यह नई योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिये 40 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी और शेष राशि आरईसी से शर्तों पर ऋण सहायता के रूप में देने का प्रावधान था।

इस योजना में चार वर्षों की अवधि में सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने और सभी ग्रामीण मकानों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2003-04

इस योजना को वर्ष 2003-04 में आरम्भ किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण

विद्युतीकरण कार्यक्रम को चलाने के लिये राज्य सरकार/पॉवर युटिलिटीज द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिये ऋणों पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जानी थी। यह सहायता ऊर्जा के पारम्परिक एवं गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों, दोनों माध्यम से गैर-विद्युतीकरण गांवों के विद्युतीकरण, दलित बस्तियों, जनजातियों गांवों एवं गांवों में मकानों के विद्युतीकरण तक सीमित थी।

कुटीर ज्योति योजना 1988-89

हरिजनों एवं आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले ग्रामीण परिवारों के मकानों के लिये सिंगल प्वाइण्ट विद्युत कनेक्शन प्रदान करने हेतु इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया।

राज्यों को आवंटन राज्य में गरीबी रेखा के नीचे की ग्रामीण जनसंख्या के आकार पर आधारित था। इस योजना के तहत अधिक ध्यान उन राज्यों पर दिया गया, जिनमें ग्रामीण गरीबों की आबादी अधिक थी एवं विद्युतीकरण का स्तर कम था। इस योजना का विलय वर्ष 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कर दिया गया था।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारम्भ वर्ष 2000-01 में हुआ था। ग्रामीण विद्युतीकरण को अतिरिक्त रूप से इस योजना में जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में पांच प्रमुख घटक शामिल हैं—

1. प्राथमिक स्वास्थ्य
2. प्राथमिक शिक्षा
3. ग्रामीण आवास
4. ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता तथा
5. ग्रामीण विद्युतीकरण वर्ष 2005-06 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1974

पांचवी पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम के घटक के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत धनराशि अनुदान रूप से राज्यों को प्रदान की गई थी।

इस योजना में न्यूनतम अवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले क्षेत्र न्यून लोड क्षमता के साथ दूरस्थ, दूर-दराज एवं कठिन स्थलों पर स्थित गांव थे। इस योजना को वर्ष 2004 में समाप्त कर दिया गया और बाद में इसे नई योजना 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के साथ मिला दिया गया।

अवरुद्ध बिजली सृजन क्षमता

भारत में कोयला आधारित बिजली सृजन क्षमता चार वर्ष में 73 प्रतिशत की वृद्धि पर रही, जबकि इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में केवल 6.1 प्रतिशत की वृद्धि रही (1.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि पर)। परन्तु कोयला उत्पादन पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में जटिलताओं के कारण सुस्त पड़ा रहता है। इसी प्रकार, लगभग 24000 मेगावाट के गैस आधारित बिजली संयन्त्र गैस की कमी के कारण बाधित पड़े हैं, इसके परिणाम स्वरूप अरबों डॉलर के निवेश बाधित पड़े हुए हैं।

विशाल पनबिजली क्षमता का कम उपयोग

आन्दोलन करने वाले समूह अधिकांशतः राज्यस्तरीय कानून व्यवस्था मुद्दों को बार-बार उठाते हैं। भारत के पनबिजली क्षेत्र के विकास में राज्यों के बीच एक लम्बे समय से चले आ रहे विवाद बड़ी बाधा सिद्ध हो रहे हैं। पर्यावरण स्वीकृति के लिये अन्तहीन देरी ने पनबिजली उत्पादकों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण विद्युत परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकीं, या बाधित पड़ी हुई हैं। इस तरह से उत्पादित बिजली से लाभान्वित होने वाले लोगों की प्रतीक्षा जारी रहती है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अनदेखी

नवीकरण ऊर्जा कार्यक्रम की ओर विशेष नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में ₹ 3210 करोड़ के बराबर की प्रतिबद्धता की गई थी, लेकिन अभी तक उसका व्यय नहीं किया गया है। आश्वासन के बावजूद आर्थिक अनुपलब्धता के कारण कई स्वीकृति प्राप्त योजनाएं अवरुद्ध पड़ी हैं और उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है।

इस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय को सभी नये प्रतिबन्धों पर रोक लगाने और अब तक की दो प्रमुख योजनाओं को सब्सिडी दिये जाने पर सम्भावित रोक लगाने को बाध्य किया है, यही कारण है कि कई ऊर्जा उद्यमियों को निराशा का सामना करना पड़

रहा है।

अन्तःक्षेत्रीय पारेषण बाधाएं

ग्रामीण विद्युतीकरण के पारेषण के लिये जरूरी निवेश, बढ़ती मांग और सृजन क्षमता के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। इसके कारण पारेषण में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और अधिशेष वाले राज्यों (छत्तीसगढ़ और झारखण्ड जैसे राज्य, जो खदान निकास के निकट हैं) से कमी वाले राज्यों (अर्थात् तमिलनाडु) को बिजली के प्रवाह में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कम्पनियों एवं विद्युत नियामकों की अत्यधिक दयनीय स्थिति मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के कारण है। चोरी की वजह से वार्षिक तकनीकी एवं वाणिज्यिक नुकसान 25 प्रतिशत है, जिसमें कुछ राज्यों की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है; जैसे—जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड एवं ओडिशा।

उपाय और समाधान के बिन्दु

उपर्युक्त चुनौतियों के कारणवश ही ग्रामीण परिवेश बिजली का वांछित उपयोग नहीं कर पा रहा है। यद्यपि कुछ सकारात्मक उपायों को अपनाया जाए तो इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। यह सभी उपाय निम्नलिखित बिन्दुओं में दिये गये हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये अग्रगामी रणनीतियों में सबसे महत्वपूर्ण एक, एकल मॉडल व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसे निजी एवं सार्वजनिक संयुक्त भागीदारी से लागू किया जाये। चुनौतियों की समाप्ति हेतु नियामक प्राधिकरण गठित किया जाये, जो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये दीर्घकालीन स्थायित्व के लिये कार्य करें। ग्रामीण विद्युतीकरण को विकास के स्तर पर पहुंचाने के लिये छोटी-छोटी ग्रिड व्यवस्था की स्थापना की जाये। इस ग्रिड व्यवस्था के राजस्व को कृषि आय पर निर्भर कर देना चाहिए। परिणामस्वरूप कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और ग्रिड राजस्व पर बोझ भी नहीं बनेगी। 1980 के दशक से पूर्व की सोलर स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक सोलर लालटेन इत्यादि की व्यवस्था की जाये, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर घरों में रोशनी प्रदान की जा सके। नये बिजली उपकरण; जैसे—एलईडी बल्ब, कम विद्युत खपत वाले पंखे एवं अन्य घरेलू बिजली उपकरणों को प्रोत्साहित किया जाये। बिजली ग्राहकों के लिये विश्वसनीयता और सेवा स्तर

में वृद्धि करनी चाहिए, साथ ही मिट्टी के तेल और डीजल जैसी चीजों पर होने वाले भारी व्यय में बचत करनी चाहिए। बिजली नियामकों को ग्रामीण इलाकों में बिजली की उपलब्धता, भरोसेमन्द आपूर्ति और गुणवत्ता में सुधार सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। सतत विकास नेटवर्क के निदेशक जॉन हेनरी स्टेइन ने कहा है, “बेशक, भारत ने अपने राष्ट्रीय ग्रिड तक पहुंच बढ़ाने और इसका विस्तार करने के लिये नीति सम्बन्धी कई कदम उठाये हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना शेष है। विश्व बैंक भारत सरकार के बिजली तक शत-प्रतिशत पहुंच के लक्ष्य को पूरा करने में इसके साथ भागीदारी करने की प्रतीक्षा कर रहा है।” उपरोक्त छोटी-छोटी पहल के माध्यम से ही ग्रामीण भारत को रोशन किया जा सकता है।

References

- G. D. H. Cole, Short History of the British Working Class Movement, 1787-1947
- Priya Basu 2006 Improving Access to Finance for India's Rural Poor (Directions in Development), Word Bank
- Navaratnam, Kathiravelu K. Role of Education in Rural Development: A Key Factor for Developing Countries, ERIC
- Daniel Walker Howe, What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815–1848 (2007).
- UNDP. 1996. Human Development Report 1996. Oxford: Oxford University Press.
- World Bank. 1993. World Development Report 1993: Investing in Health. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 1999. Intensifying Action against HIV/AIDS in Africa: Responding to a Development Crisis. Washington: World Bank.
- UN. 2002. The Millennium Development Goals. New York: Millennium Project.
- World Bank. 2011. Global Monitoring Report: Improving the Odds of Achieving the MDGs. Washington, DC: The World Bank.
- United Nations. 2003. Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions, Rationales, Concepts and Sources. New York: United Nations.
- UNDP and Heinrich Boell Foundation. 2003. Making Trade Work for People.
- Moser, K., et al. 2005. “World Mortality 1950–2000: Divergence Replaces Convergence.” Bulletin of the World Health Organization No. 83, WHO, Geneva.